3. The terms of Reference of the Committee are as follows.—

To recommend the appropriate organisational structure in the Telecom Department for management of Telecom Services in the country with the following objectives.—

(a) Upgradation of operating efficiency and customer services|relations;

(b) Development of infrastructure of Telecom Services to meet growing needs of Industry, Commerce and Administration all over the country in a balanced and smooth manner;

(c) Improvement of productivity and introduction of the technological changes,

(d) Establishment of an effective regulatory framework for existing and new value added telecom services;

(e) Improvement in industrial harmony and quality of work life of telecom employees;

(f) Raising of adequate resources to meet the massive expansion programme of telecom sector; and

(g) Commitment of Government to provide telecommunication services in Rural Areas and meet other social objectives.

4 The Committee while making its recommendations will take into consideration the strength and weaknesses of the existing set up under the Telecom Commission, in particular the present structure consisting of Government department and MTNL, the possible alternative models and associated financial and other implications, including impact on existing staff, public accountability of the essential service and other relevant factors such as national security. The structure should strike a proper balance between delegations of powers to the department and further to field formations and retention of controls with the Government in some critical areas especially in view of the answerability of the Government before the Parliament.

5. The Committee may seek the help of any other personnel or agencies in the discharge of its assignment. The Committee shall submit its report by 20th February, 1991.

6. The non-official members of the Committee would be entitled to travelling allowances as per Ministry of Finance O. M No. F. 6(26)-E-IV|59 dated 5-9-1960, as amended from time to time and other facilities necessary for carrying out the assignment.

Passenger-oriented wayside amenities along the National Highways

818. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1551 given in the Rajya Sabha on the 23rd May, 1990 and state what progress has so far been made in providing passenger-oriented wayside amenities along the National Highways, Statewise?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI MANUBHAI KOTADIA) Latest Statewise position of applications received from forty eight parties is indicated in the Annexure [*See* Appendix CLVI, Annexure No. 17]

मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं

819. **डा० अबरार अहमद** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान की कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास मंजूरी के लिए लम्बित पडी हैं तथा उन्हें कब तक मंजूरी दे दी जाएगी और इसका ब्यौरा क्या है;

(ख) राजस्थान में केन्द्रीय सरकार की मदद से सिंचाई तथा जल संबंधी कौन-कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं तथा उक्त परियोजनाओं के कब तक

पूरा हो जाने की सभावना है और उनके पूरा होने मे क्या अड़चने पेश आ रही हैं; और

(ग) इदिरा गाधी नहर के संबंध मे स्थिति क्या है और इसके पूरा न हो पाने के कारणो का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री, साथ में जल भू-तल परिवहन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री मनुभाई कोटाड़िया) :

(क) यद्यपि गंभीरी आधुनिकीकरण परियोजना निवेश स्वीकृति हेतु योजना आयोग को भेजी गयी है, लेकिन राज्य सरकार को जयसमन्द के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के अलावा नर्मदा नहर, बांधी सेन्द्रा, सुकली और गरारदा परियोजनाओं के तकनीकी मामलो को भी सुलझाना है ।

(ख) राजस्थान में सिंचाई और जल परियोजनाएं जो केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर रही हैं, का विवरण संलग्न सूची में दिया गया है । (नीचे देखिए)

(ग) इंदिरा गांधी नहर परियोजना का चरण-I लगभग पूर्ण होने को है, चरण-I को नौवी योजना से आगे ले जाया जाना निश्चित है । अन्य के साथ-साथ इस क्षेत्र के कठोर कार्य परिस्थितियां भी परियोजना पर धीमी गति से कार्य होने के लिए उत्तरदायी हैं ।

विवरण

राजस्थान में केन्द्रीय सहायता से चलाई जा रही सिंचाई जल परियोजनाएं

क्रम सं	परियोजना का नाम	पूर्ण करने की सभावित तारीख
1.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना चरण–I और II (कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए सीमा विकास कार्यक्रम और केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत)	नौवीं योजना के बाद
2.	जोधपुर जल आपूर्ति स्कीम	1992
3.	आठवी योजना मे "बिना किसी स्रोत" वाले 348 गांवों और आंशिक रूप से 700 गांवो को सम्मिलित करने के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (समान्य) और रेगिस्तान विकास कार्यक्रम	आठवीं योजना
4.	40 फिल्टर और ड्राइप फ्लूओराइड निवारक संयंत्र और 64 हैंड-पम्प सम्बद्ध संयंत्र	मार्च, 1991

टिप्पण— इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता में चुरू, नागौर और बाडमेर में 3 गिनी मिशन परियोजना क्षेत्र, जल गुणवत्ता निगरानी के लिए 3 स्टेशनरी और एक मोबाइल प्रयोगशाला जल संचार संरचना के लिए स्कीमे, सुरक्षित पेयजल स्रोत उपलब्ध कराने के लिए गिनी कृमि निवारण कार्यक्रम तथा गन्दे कुओं को साफ कुओ मे परिवर्तित करना भी शामिल है ।